क्रम संख्या–58 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 105/XXXVI(3)/2016/13(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2016)

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9 वर्ष, 2013) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इस अधिनियम के लागू होनें से पूर्व उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किये गए कार्य माने जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

2 (1) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

2(ख) "आयोग" से उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 के अधीन गठित उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग से अभिप्रेत है,

धारा 20 की उपधारा (2) से उपधार(5) का निरसन

3 (1) मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा(2) से उपधारा (5) तक निरसित कर दी जाऐंगी।

धारा 21 से 25 का निरसन

4 (1) मूल अधिनियम की धारा 21 से धारा 25 तक निरसित कर दी जाऐंगी।

धारा 26 का प्रतिस्थापन

5 (1) मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात् –

26(1) "आयोग" उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम 24/2013 के अन्तर्गत प्रतिपादित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगा :–

अर्थात् –

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्त्तन करना।

(ख) जल कर के सम्बधित विवादों का न्याय निर्णय करना।

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

(घ) विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल के प्रवर्तन, नियन्त्रण और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

(ड) सरकार द्वारा उसे सौंपे गये या निर्धारित किये गये अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

धारा 28 का प्रतिस्थापन

6 (1) मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

(28) आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

धारा 36 का निरसन

7 (1) मूल अधिनियम की धारा 36 निरसित कर दी जाएगी।

धारा 37 का प्रतिस्थापन

8 (1) मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

37(1) .एक निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम आयोग निधि होगा जिसमें निम्नलिखित राशियों को जमा किया जायेगा :–

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिये गये कोई अनुदान और ऋण ,

(ख) अधिनियम आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस,

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां,

(2) सरकार व्ययों की पूर्ति के लिए निधि के उपभोग की रीति विहित कर सकेगी।

धारा 38 से 40 का निरसन

9 (1) मूल अधिनियम की धारा 38 से धारा 40 तक निरसित कर दी जाऐंगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

350/16

उद्देश्य एवं कारण

राज्य में विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिरोपित करने के लिए "**उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012**" अधिनियमित किया गया था, उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयाँ प्रशासनिक स्तर पर महसूस की जा रही है।

2– इन कठिनाईयों के निराकरण के लिए प्रस्तुत विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

3– उक्त विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

यशपाल आर्य,
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 विधायी / 191–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।